यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन), देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन), देहरादून** के माह 09/2015 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सुश्री सरूनी शर्मा, व.ले.प, श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.09.2018 से 17.09.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजा रंजन राव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.09.2015 से 23.09.2015 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 07/2013 से 08/2015 तक एवं व्यय हेतु माह 07/2013 से 08/2015 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 09/2015 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 09/2015 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में वन्य जीव संरक्षण कार्य।

3. (ii) (अ) राजस्व का विवरणः विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	0.13
2016-17	0.14
2017-18	0.26

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थपना		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	-	-	115.48	115.48	480.00	480.00			-
2016-17	-	-	137.02	137.02	480.00	480.00			-
2017-18	-	-	155.11	155.11	1040.00	1040.00			-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0	प्राप्त	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
2015-16					
2016-17	-----	लागू नहीं	-------		
2017-18					
2018-19					

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन), देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन), देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह ..... को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2016, 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 1: निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की कम वसूली

कार्यालय अपर प्रमुख वन-संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन), देहरादून के राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विगत दो वर्षों में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व निम्नवत था:

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य (` लाख में)	प्राप्ति (` लाख में)	कम प्राप्ति (` लाख में)
2015-16	41576.07	35849.62	5726.45
2016-17	50675.37	32221.13	18454.24
2017-18	50000.00	31113.51	18886.49
योग			**43,067.18**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 में ` 57.26 करोड़, वर्ष 2016-17 में ` 184.54 करोड़ व वर्ष 2017-18 में ` 188.86 करोड (कुल ` 430.67 करोड) राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

आगे, अभिलेखों की जाँच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2016-17 में राजस्व प्राप्ति पूर्ववर्ती वर्ष 2015-16 में प्राप्त राजस्व से ` 36.28 करोड़ कम थी। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17 में प्राप्त राजस्व से ` 11.08 करोड़ राजस्व संग्रह में कमी आयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि विभाग को लीसे के माध्यम से अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। परंतु, विगत वर्षों में लीसा-डिपो में रखे लीसा का निस्तारण समय से न हो पाने एवं वाह्य संस्थाओं द्वारा

लीसे की नीलामी में रूचि न होने के कारण लीसा बिक्री में कमी आयी है। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्र से एकत्र नदी तल सामग्री पर अभिवहन शुल्क माह फरवरी 2014 के उपरांत `50/टन से घटाकर ` 15/टन (जो कि 10/2017 तक लागू था) किए जाने से भी राजस्व प्राप्ति में कमी आयी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लीसा मद में प्राप्त राजस्व की जाँच करने पर राजस्व प्राप्ति निम्नवत पायी गयी:

वित्तीय वर्ष	**कुल प्राप्ति (` लाख में)**	**लीसा मद में प्राप्ति (` लाख में)**
2015-16	35849.62	3265.84
2016-17	32221.13	3252.81
2017-18	31113.51	3262.28

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विगत तीन वर्षों में लीसा मद मे प्राप्ति ₹32.66 करोड़ से ₹32.62 करोड़ ही है जो कि स्थिर है।

अतः विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्त करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-2: लीसा मद में व्यय के सापेक्ष प्राप्तियों का प्रतिशत कम होना ।

कार्यालय अपर प्रमुख वन-संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन), देहरादून के बजट व राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग में लीसा मद में बजट आवंटन (non-plan) व व्यय की स्थिति निम्नवत थी:

(₹ लाख में)

FY	Total Exp./Non-plan	Exp. On Resin	Percentage
2015-16	5338.10	3265.84	61.18
2016-17	21000.50	3252.81	15.49
2017-18	22603.50	3262.28	14.43

आगे जाँच में पाया गया की विभाग की कुल प्राप्तियों में लीसा मद मे प्राप्ति निम्नवत थी:

(₹ लाख में)

FY	Total Receipts	Receipts from Leesa	Percentage
2015-16	35849.62	3265.84	9.11
2016-17	32221.13	3252.81	10.10
2017-18	31113.51	3262.28	10.49

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान लीसा मद में कुल व्यय का 14 से 61 प्रतिशत व्यय किया गया परन्तु, इस मद में प्राप्ति इन वर्षों के दौरान 9 से 10 प्रतिशत ही रही।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि विभाग को लीसे के माध्यम से अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। परंतु, विगत वर्षों से लीसा-डिपो में रखे लीसा का निस्तारण समय से न हो पाने व वाह्य संस्थाओं द्वारा लीसे की नीलामी में रूचि न होने के कारण लीसा बिक्री में कमी आयी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों की जाँच में यह भी पाया गया कि लीसा मद मे विभाग का कॉस्ट ऑफ कलेक्शन काफी अधिक है। विवरण निम्नवत है:

(₹ हजार में)

FY	Expenditure	Receipts	Cost of Collection (2*100/3)
1	2	3	4
2015-16	326583.8	493874.03	66.13
2016-17	325280.81	397601.04	81.81
2017-18	326228.13	512337.17	63.67

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लीसा मद में प्राप्तियों का प्रतिशत व्यय प्रतिशत के सापेक्ष कम है। इसके अतिरिक्त इस मद मे विभाग का कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी काफी अधिक है।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
47/2013-14	-	01,02	-
95/2015-16	-	01	-

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
			-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन), देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

(1)राजस्व- संविदा पर लगाये गये श्रमिकों के मजदूरी का एवं EDF का विवरण।

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री जय राज	अ.प्र.व.सं.(नि.एवं वि.प्र.)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन), देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र